# राजस्थान सरकार
## वन विभाग

क्रमांक : प. 1 (11)वन/2010 जयपुर, दिनांक : 04 JAN 2019

**परिपत्र**

अवैध खनन की रोकथाम एवं नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने हेतु पूर्व में मुख्य सचिव के स्तर से प.20(118)खान/ग्रुप–2/2014 जयपुर, दिनांक 2.2.2016 से राज्य में अवैध खनन की रोकथाम हेतु संयुक्त अभियान बाबत स्थाई आदेश जारी कर खान विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग एवं यातायात विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए थे। इसी क्रम में इस विभाग क समसंख्यक पत्र दिनांक 4.3.2016 से वन क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गए। इसके अतिरिक्त खान (ग्रुप–2) विभाग के पत्रांक प.14(1)खान/ग्रुप–2/2012 जयपुर दिनांक 9.2.2012 द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के क्रम में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गए थे।

प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(30)प्रसुवि/अनु.3/09 दिनांक 15.2.2010 से अवैध खनन की समस्या को विशेष महत्व देने एवं अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(8)प्रसु/अनु.3/2003(2) जयपुर दिनांक 29.01.2003 से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एवं सुधार (अनु–3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(8)प्रसु/अनु.3/2003(2) दिनांक 1.6.2011 से जिला स्तरीय कमेटी द्वार किये गये कार्यों की विश्लेषणात्मक समीक्षा तथा अवैध खनन/निगर्मन की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के लिये सम्भागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था।

वन क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु ही पूर्व में समसंख्यक अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 13.4.2012 से अवैध खनन करने वालों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में वन संपदा चोरी (379IPC) का मामला दर्ज कराने एवं अवैध खनन में लिप्त वाहन चालक का ड्राईविंग लाइसेन्स निरस्त करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को लिखने बाबत निर्देशित किया था।

उपर्युक्त संदर्भित जारी दिशा निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार को विभिन्न स्तरों से वन क्षेत्र में अवैध खनन जैसी गतिविधियों के संबंध में निरन्तर शिकायतें एवं परिवाद प्राप्त हो रहें हैं जिनमें मुख्यतः वन क्षेत्र में अवैध रूप से चेजा पत्थर, बजरी, मिट्टी एवं अन्य मुख्य खनिजों की निकासी से संबधित होते हैं। इस तरह से प्राप्त हो रही शिकायतों से ऐसा प्रतीत होता हैं कि अधीनस्थ स्तर पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की कठोरता से पालन नहीं हो रही है। अतः पर्वू में राज्य सरकार स्तर से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में वनक्षेत्रों में अवैध खनन की रोकथाम हेतु निम्न दिशा निर्देश प्रसारित किये जाते हैं–

1. समस्त उप वन संरक्षक प्रत्येक माह उनके अधीन वन क्षेत्र में उनके स्तर से किये गए दौरों में अवैध खनन की स्थिति की रिपोर्ट अपने नियंत्रण अधिकारी–संबंधित संभागीय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को प्रत्यक माह की 5 तारिख तक अग्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगें।
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक अवैध खनन की रोकथाम के कम में गठित उनके सम्भाग स्तर की कमटी की बैठकों में उपस्थित रहकर प्रभावी कार्यवाही करा रिपोर्ट कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें।
3. समस्त उप वन संरक्षकअवैध खनन की रोकथाम के कम में गठित जिला स्तरीय कमटी की बैठकों में उपस्थित रहकर प्रभावी कार्यवाही करा रिपोर्ट संबंधित संभागीय मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें।
4. समस्त उप वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगें कि उनके अधीनस्थ स्टाफ किसी भी रूप में अवैध खनन की गतिविधियों में लिप्त नहीं रहें। किसी भी वन कर्मी की अवैध खनन में लिप्तता की स्थिति में अविलम्ब नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही कठोरता पूर्वक करना सुनिशित करेंगें।
5. आवश्यकता पडने पर समस्त उप वन संरक्षक वन क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु अन्य विभागों यथा खान विभाग, पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन का सहयोग प्राप्त कर संयुक्त रूप से समय–समय पर गश्ति दलों का गठन कर वन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण करेंगें।
6. अवैध खनन में लिप्त वाहनों को नियमानुसार अधिग्रहण करवाने की कार्यवाही अधिकृत अधिकारी से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें तथा इस संबंध में यदि कोई वाद किसी भी सक्षम न्यायालय मे दायर किया जाता है तो, संबंधित उप वन संरक्षक ऐसी स्थिति में ठोस रूप में विभागीय पक्ष संबंधित न्यायालय में रखेंगें।

समस्त उप वन संरक्षक उपर्युक्त दिशा निर्देशों की पालना करना सुनिश्चित करेंगें।

3/1/2019

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, वनमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त परिपत्र संबंधित वनाधिकारियों को अपने स्तर से भिजवाने का कष्ट करे।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

3.1.19

(रामकरण खैरवा)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपिः–निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त परिपत्र को संबंधित संभागीय मुख्य वन संरक्षक एवं जिला कलेक्टरर्स को अपने स्तर से भिजवाने का श्रम करावे।
6. रक्षित

3.1.19

(रामकरण खैरवा)
विशेषाधिकारी, वन